

प्रेषक,

सं0- 100/2025/492/35-1-2025/457/यो0मा0प्र0/2017

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
4. समस्त प्रबन्ध निदेशक/निदेशक, राजकीय निर्माण एजेंसी।

नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक: 04 जून, 2025

विषय: TPQC(Third Party Quality Control) रिपोर्ट को CMIS (<https://cmis.up.gov.in/>) पोर्टल पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि नियोजन अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-3/2022/546/35-1-2022- 422/यो0मा0प्र0/2018टी0सी0-2, दिनांक 07.06.2022 द्वारा रु0 01 करोड़ या इससे अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रविष्टि तथा उनकी एकटीविटीवार त्रुटिरहित अद्यतन स्थिति CMIS पोर्टल पर अपडेट कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी, जिसका मुख्य ध्येय प्रदेश की महत्वपूर्ण निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा एवं अनुश्रवण का कार्य विभिन्न stakeholders द्वारा यथासम्भव CMIS पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर किया जाना है ताकि परियोजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावशाली ढंग से किया जा सके। इससे एक ओर जहां सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का ससमय उपयोग हो पायेगा, वहीं दूसरी ओर परियोजनाओं में होने वाले विलम्ब के कारण भी चिन्हित होंगे एवं उनके शीघ्र निस्तारण के लिए प्रत्येक स्तर पर कदम उठाये जा सकेंगे।

2. उल्लेखनीय है कि विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं का दायित्व है कि उनसे सम्बन्धित अवस्थापना सम्बन्धी निर्माणाधीन परियोजनाओं में समस्त कार्यों का निष्पादन गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके लिए परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल (TPQC) का प्राविधान किया गया है। सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर परियोजनाओं से सम्बन्धित TPQC रिपोर्ट को अपलोड किये जाने हेतु Third Party Inspection Module विकसित किया गया है, जो कि सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर परियोजनाओं से सम्बन्धित विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं के login पर उपलब्ध है।

3. सर्वप्रथम सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के अधिकारी (अधिशाली अभियंता/प्रोजेक्ट मैनेजर) द्वारा सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर TPQC रिपोर्ट Observations के साथ अपलोड की जायेगी। इसके पश्चात् TPQC Compliance Report के अन्तर्गत प्रत्येक Observation के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण अपलोड/अपडेट किया जायेगा। परियोजनाओं से सम्बन्धित विभागों का भी यह दायित्व होगा कि जिन परियोजनाओं में TPQC अनुमन्य है उन समस्त परियोजनाओं में सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर Observations के साथ TPQC रिपोर्ट अपलोड करते हुए TPQC Compliance Report के अन्तर्गत प्रत्येक Observation के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण अपलोड/अपडेट किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4. कृपया उपरोक्तानुसार CMIS पोर्टल पर परियोजनाओं से सम्बन्धित TPQC रिपोर्ट के साथ ही TPQC Compliance Report के अन्तर्गत प्रत्येक Observation के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण अपलोड कराये जाने के सम्बन्ध में समयबद्ध रूप से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

पत्रांक व दिनांक यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव, मा०मुख्यमंत्री जी, उ०प्र०शासन के अवगतार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त, वित्त विभाग, उ०प्र०शासन।
3. गार्डफाइल।

आजा से,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।